UPHR010035852026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1594/2026

अमित पुत्र मधुरपाल, निवासी ग्राम गोंधाई मजरा नयागांव, थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई। ----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------- विपक्षी।

दिनांक: 01.06.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अमित की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–145/2026, अन्तर्गत धारा–304(2), 317(2) बी०एन०एस०, थाना–साण्डी, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में मधुरपाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अमित कुमार की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 29.04.2026 को समय करीब 04.00 बजे शाम को अपनी मोटरसाइकिल नं०–UP74 AN9408 को चलाकर रिश्तेदारी ग्राम रामनगर, थाना बेहटा गोकुल, जनपद हरदोई की शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर उसकी माता सुजाता व चचेरी भाभी सविता पीछे बैठी थी। रास्ते में साण्डी जगदीशपुर रोड़ पर ग्राम सैतियापुर मण्डी के पास पहुँचे तभी एक अज्ञात मोटरसाइकिल को चालक साण्डी की तरफ से पीछे से चलाता हुआ आया, जिस पर एक व्यक्ति पीछे बैठा था। उसकी भाभी सविता के दाहिने कान का एक सोने का झाला नोच लिया और मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को लेकर जगदीशपुर की तरफ भाग गया। झाला नोचने में उसका भाभी का दाहिना कान फट गया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसकी गाँव में पार्टीबन्दी चलती है, जिसके चलते पुलिस से मिलकर झूठे मुकदमों में फंसवा दिया गया है। उसके पास से फर्जी झाला की बरामदगी दिखाकर अज्ञात मुकदमों में चालान कर दिया। उसको फर्जी मुठभेड़ के मुकदमें में भी मुल्जिम

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.06.01 16:27:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बना दिया। उक्त मामले में जनता का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है, जबकि भट्ठे के पास पकड़ा व मुठभेड़ दिखाई है। भट्ठे पर कर्मचारी मौजूद बने रहते है, जो कि घटना को संदेहास्पद करता है। उसका पूर्व का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की भाभी के दाहिने कान का सोने का झाला नोचा तथा जिसमें वादी मुकदमा की भाभी का कान फट गया। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7– जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में नामजद नहीं है। उसके विरूद्ध अभियोग है कि उसने सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की भाभी सविता के दाहिने कान का एक सोने का झाला नोच लिया। विवेचना के अनुक्रम में पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से इस प्रकरण से संबंधित एक पीली धातु का सोने का झाला की बरामदगी होनी गयी है, किन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 14.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

8. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, अपराध की प्रकृति एवं उसमें प्रावधानित दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अमित** का जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– **(पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः 01.06.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।